न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 23/2020, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. गुलाब पुत्र गिरधारी
2. भरतलाल पुत्र श्रीचन्द
3. गब्दू पुत्र हजारी
4. प्रेम देवी पत्नि रामनिवास

समस्त जाति मीना निवासी सिकराय तह. सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र गंगाधर
2. मन्नू पुत्र घूडमल
3. नाहरसिंह पुत्र घूडमल
4. मक्खन पुत्र रामकिशन
5. बहादुरसिंह पुत्र रामकिशन

समस्त जाति मीना निवासी सिकराय जिला दौसा।

6. श्री रणजीत सिंह गोदारा आरएएस उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत स्थानान्तरण पत्रावली विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय पीठासीन अधिकारी रणजीतसिंह गोदारा प्रकरण उनवानी सरकार बनाम घूडमल आदि प्रकरण अ. धारा 145 जा. फौ. मु. नं. 2/2012 आ. पेशी 10.11.2020

उपस्थिति : श्री सी.एल. मीना अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित।
: श्री रमेश कुमार खण्डेलवाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगा. 5 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक 07.01.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. मुकदमा नं. 2/2012 उनवानी सरकार बनाम घूडमल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष तहसील के पास आम रोड पर स्थित एक भवन मीना धर्मशाला को कब्जेराज में लेने हेतु विचाराधीन है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा उपखण्ड अधिकारी सिकराय से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा. फौ. मुकदमा नं. 2/2012 उनवानी सरकार बनाम घूडमल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष तहसील के पास आम रोड पर स्थित एक भवन मीना धर्मशाला को कब्जेराज में लेने हेतु विचाराधीन है। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा विपक्षीगण से साज कर रखी है। येन–केन प्रकारेण प्रकरण को पार्टी नं. 2 के पक्ष में फैसला करने को आतुर है। इसके अलावा प्रार्थी ने भी अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में घुसते निकलते व बात करते हुऐ देखा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आनन–फानन में अप्रार्थी पार्टी नं. 1 से भारी रकम लेकर उक्त प्रकरण का निस्तारण उनके पक्ष में अनुचित रूप से करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण का सुनवाई किया जाना आवश्यक है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलम्ब किये जाने एवं प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 32/2019 उनवानी गुलाब वगैरा बनाम घूडमल प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। जो तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री हरिताभ कुमार आदित्य उप जिला कलक्टर सिकराय के विरूद्ध पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान पीठासीन अधिकारी के अतिरिक्त पूर्व में भी तत्कालीन पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किये गये है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का उद्देश्य मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करना एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 लगायत 5 के उक्त कथन से सहमत होते हुए प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकरी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट में पत्रावली का स्थानान्तरण अन्य न्यायालय में कर दिये जाने पर न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध भी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर
दौसा

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारियों के विरूद्ध बार–बार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किये जाने के सम्बन्ध में कोई औचित्यपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 2/2012 उनवानी सरकार बनाम घूडमल को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 7.1.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official